राजस्थान सरकार

न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी,नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

इंतकाल अपील संख्या 03 / 25 तारीख रजू : 05.02.2025 निर्णय दिनांक : 8.10.25

उनवानः

1. कान्ता देवी उम्र 80 वर्ष पत्नी श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीलाजोगा हाल आबाद माधा का माजरा तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा राज0।

........अपीलान्टान

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कोलीलाजोगा पंचायत समिति, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.12.2000 बाबत
इंतकाल सं. 176 वाके ग्राम कोलीलाजोगा

उपस्थिती :– श्री उदयसिंह यादव योग्य अधिवक्ता अपीलान्टा की ओर से।

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। अपील के सुक्षम वृतान्त निम्न प्रकार है कि जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के मुताबिक खसरा नम्बर हाल 117 रकबा 0.60 है0, 129 रकबा 0.21 है0, 476 रकबा 0.36 है0, 631 रकबा 0.35 है0, 123 रकबा 0.60 है0, 612 रकबा 0.14 है0, 614 रकबा 0.11 है0, 615 रकबा 0.02 है0, 270 रकबा 0.15 है0, 271 रकबा 0.14 है0, 275 रकबा 0.30 है0, 276 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम कोलीलाजोगा तह0 नीमराना मे मेरी मुवकिला के ससूर श्री दीनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीलाजोगा तह0 नीमराना के खातेदारी हिस्से की विरासत का इंतकाल सं0 176 दिनांक 09.12.2000 मे अपीलान्टा का नाम कान्ता देवी पत्नी रघुवीरसिंह के स्थान पर कान्ता देवी बेवा दीनसिंह दर्ज कर दिया गया जिस गलत इंतकाल को सरपंच ग्राम पंचायत कोलीलाजोगा द्वारा भी बिना जांच पडताल किये व बिना पुछताछ किये ही स्वीकृत कर दिया गया। जिस गलत इंतकाल के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड मे मिन अपीलान्टा का नाम कान्ता देवी पत्नी दीनसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत इन्द्राजात राजव रिकार्ड मे रिपीट होता रहा और सैग्रिगेशन जमाबन्दी मे भी उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर ही मिन अपीलान्टा के नाम के आगे मेरे पति रघुवीरसिंह के स्थान पर मेरे ससुर दीनसिंह का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी मिन अपीलान्टा को नही थी लेकिन मिन अपीलान्टा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब पता चला की राजस्व रिकार्ड मे मिन अपीलान्टा के नाम के आगे मेरे पति का नाम रघुवीरसिंह के स्थान पर मेरे ससुर दीनसिंह का नाम दर्ज है। मिन अपीलान्टा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने के लिए पटवारी हल्का से मिली तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आने के लिए कहा तो मिन अपीलान्टा तहसीलदार साहब से मिली तो तहसीलदार साहब ने बताया कि यह गलती इन्तकाल भरते समय हुई है। इसलिए इंतकाल की अपील कर, रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाओ इसलिए अपीलान्टा द्वारा यह अपील पेश कर, इंतकाल सं0 176 को अपीलान्टा के हक तक निरस्त कर अपीलान्टा के सही नाम से इंतकाल खोला जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।द

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

अपील अपीलान्टा दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट वावजूद तलवी के न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वकील अपीलान्ट को एक पक्षीय सुना गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दौहराते हुऐ अपील स्वीकार कर, इंतकाल सं0 176 वाके ग्राम कोलीलाजोगा को अपीलान्टा के हक तक निरस्त कर,अपीलान्टा के सही नाम से इंतकाल खोला जाने के तर्क दिये गये।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध इंतकाल सं0 176 वाके ग्राम कोलीलाजोगा का अवलोकन किया गया जो इंतकाल मृतक दीनसिंह पुत्र चतरसिंह की विरासत का खोला गया है जिस इंतकाल को भरते समय दीनसिंह के वारिसान का सजरा बनाया गया उसमे अपीलान्टा कान्ता देवी को दीनसिंह की बेवा दर्शित किया गया है तथा दीनसिंह के पुत्र रघुवीरसिंह को दर्शित नही किया गया है। जबकि मृतक दीनसिंह पुत्र चतरसिंह की ग्राम कोलीलासांगा मे स्थित खातेदारी भूमि का विरासत का इंतकाल सं0 536 खोला गया है जिसमे मृतक दीनसिंह के वारिसान का सजरा मे दीनसिंह के पुत्र रघुवीरसिंह को दर्शित किया गया है तथा रघुवीरसिंह की मृत्यु होने के कारण रघुवीरसिंह की वारिस उसकी पत्नी कान्ता देवी दर्शित की गई है। जो इंतकाल मृतक के वारिसान के नाम से सही खोला गया है लेकिन इंतकाल सं0 176 मे अपीलान्टा को दीनसिंह की पत्नी गलत दर्शित किया जाना साबित होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के पूर्ण अवलोकन से अपीलान्टा के पति का नाम रघुवीरसिंह होना साबित होता है लेकिन इंतकाल सं0 176 मे अपीलान्टा के पति का नाम दीनसिंह गलत दर्ज किया जाना जाहीर होता है। इस प्रकार इंतकाल सं0 176 वाके ग्राम कोलीजाजोगा तह0 नीमराना की बाबत पारित आदेश दिनांक 09.12.2000 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर अपीलान्टा की हद तक निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर, सरपंच ग्राम पंचायत कोलीलाजोगा पंचायत समिति नीमराना द्वारा इंतकाल सं0 176 वाके ग्राम कोलीलाजोगा तह0 नीमराना की बाबत पारित आदेश दिनांक 09.12.2000 को अपीलान्टा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपील तहसीलदार नीमराना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्टा के पति के नाम की पूर्ण जांच की जाकर,मृतक दीनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीलाजोगा के विरासत इंतकाल सं0 176 मे व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्टा के नाम के आगे उसके पति के गलत नाम से हटाकर सही नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)